भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 77
27.07.2026 को उत्तर देने के लिए

पीएलएफएस के अनुसार देश में औसत लिंगानुपात

77. श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकियाः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2025 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार देश में औसत पुरुष और महिला रोजगार दर क्या है;
(ख) उक्त सर्वेक्षण में पुरुष एवं महिला मजदूरी का अनुपात क्या है;
(ग) इस सर्वेक्षण में पुरुष एवं महिला नियमित मजदूरी का अनुपात क्या है; और
(घ) सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं उनकी मजदूरी में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

पीएलएफएस के अनुसार देश में औसत लिंगानुपात के संबंध में गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया द्वारा दिनांक 27.07.2026 के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 77 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की वार्षिक रिपोर्ट, 2025 पर आधारित, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए प्रधान स्थिति और सहायक स्थिति (पीएस +एसएस) सहित सामान्य स्थिति के अनुसार अखिल-भारतीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) पुरुषों के लिए 76.6% और महिलाओं के लिए 38.8% है।

(ख) और (ग): पीएलएफएस में, रोजगार की तीन व्यापक श्रेणियों अर्थात् स्व-रोजगार; नियमित मजदूरी/ वेतनभोगी रोजगार; और आकस्मिक श्रम—के अंतर्गत पुरुष और महिला मजदूरों की आय संबंधी सूचना एकत्र की जाती है। पीएलएफएस, 2025 के आधार पर पुरुष-से-महिला मजदूरी अनुपात नीचे दिया गया हैः

तालिका 1: पीएलएफएस, 2025 के आधार पर रोजगार में व्यापक स्थिति और पुरुष-से-महिला मजदूरी अनुपात के आधार पर औसत मजदूरी (रुपये में) का अनुमान

रोजगार में स्थिति	पुरुष	महिला	पुरुष-से-महिला मजदूरी अनुपात
(1)	(2)	(3)	(4)
स्व-रोजगार	17,914	6,374	2.8:1
नियमित मजदूरी /वेतनभोगी रोजगार	24,217	18,353	1.3:1
आकस्मिक श्रम	489	324	1.5:1

(घ): रोज़गार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार महिला भागीदारी को बढ़ावा देने और उनकी मजदूरी में वृद्धि के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएँ केआईआरएएन (डब्ल्यूआईएसई- केआईआरएएन), मिशन शक्ति, नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी, विकसित भारत-रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम -जी), पंडित. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाईएनयूएलएम) आदि जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।

महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के एक नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है।

महिला श्रमिकों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित करने हेतु श्रम कानूनों में कई प्रावधान शामिल किए गए हैं, जैसे कि सवेतन मातृत्व अवकाश, बाल देखभाल अवकाश, समान मजदूरी आदि। इन सभी पहलों से गुणात्मक प्रभावों के माध्यम से मध्यम से दीर्घकालिक अवधि में सामूहिक रूप से रोजगार सृजन की अपेक्षा है।

इसके अतिरिक्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जनवरी 2024 में "नियोक्ताओं के लिए महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु एक एडवाइजरी" जारी की है। इस एडवाइजरी में, अन्य बातों के साथ-साथ, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रोजगार और देखभाल संबंधी उत्तरदायित्वों के बीच संतुलन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, जिसमें पितृत्व अवकाश, अभिभावकीय अवकाश, पारिवारिक आपातकालीन अवकाश और लचीली कार्य व्यवस्था जैसे परिवार-अनुकूल उपाय शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट (2024-25) में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने हेतु उद्योग के सहयोग से कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावास और शिशु देखभाल केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की गई।

*****